# राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के माननीय सदस्यगण के साथ
# शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन पर
# परामर्श बैठक की रिपोर्ट

बैठक दिनांक- 04.01.2018

स्थान: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कार्यालय, नई दिल्ली

शिक्षा प्रभाग
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.)

## परिचय

पहली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जुलाई 2010 में हुआ था तथा यह नवम्बर, 2014 तक प्रभावी रही। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 8 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 33 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया।

धारा 33 के अनुसार, केन्द्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार अधिकतम 15 सदस्यों की नियुक्ति करेगी और ये सदस्य प्राथमिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव रखते होंगे। साथ ही, धारा 33 (2) यह कहती है कि इस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कार्य अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से करने के लिए केन्द्र सरकार को सलाह देना होगा। विशिष्टतः शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 30 के अनुसार, यह परिषद सलाह देने की क्षमता में कार्य करते हुए निम्नलिखित कार्य करेगी :

क) समीक्षा

i) अनुसूची में निर्दिष्ट नियम तथा मापदण्ड;

ii) शिक्षकों की योग्यता तथा प्रशिक्षणों का अनुपालन;

iii) धारा 29 का क्रियान्वयन;

iv) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्ययन और अनुसंधान;

v) राज्य सलाहकार परिषदों के साथ समन्वय;

vi) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जागरूकता उत्पन्न करने, संगठित करने तथा एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने में आमजन, मीडिया तथा केन्द्र सरकार के मध्य सेतु का कार्य करना।

ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् उसके द्वारा की गयी समीक्षाओं, अध्ययनों तथा अनुसंधानों की रिपोर्ट तैयार करती है तथा उसे केन्द्र सरकार को भेजती है।

## आवश्यकता

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी का अधिदेश प्राप्त एक सांविधिक निकाय है। साथ ही, आयोग को सी.पी.सी.आर. अधिनियम, 2005 द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं और कार्य भी सौंपे गये हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्रियाविधि को सशक्त बनाने हेतु वार्ता करने का अवसर प्रदान करने में यह एक सार्थक मंच है। परिषद को लगभग तीन वर्ष के बाद पुनर्गठित किया गया और इसे इसकी भूमिका एवं महत्त्व मिला, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के नामित सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक का आयोजन किया, विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, स्वतंत्र विशेषज्ञ; और बाल अधिकारो एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन इसमें सहभागी रहे। इस परामर्श का प्रयोजन बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एन.ए.सी. और एन.सी.पी.सी.आर. के मध्य बेहतर सामन्जस्य के लिए तथा अधिनियम

के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एन.ए.सी. के सदस्यो की भूमिका के लिए एक मंच उपलब्ध कराना था।

## कार्यसूची

बैठक का व्यापक उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करना था। विशिष्टतया चर्चा में इन बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया–पहला तो अनुशंसाओं की रचना करना जिससे अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों/लाभों तक सभी बच्चों की पहुंच बन सके तथा दूसरा कि ये अनुशंसाएं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के पुनिर्विलोन के लिए दिशा प्रदान करने में सहायक हो सकें।

## मुख्य संबोधन तथा विचारों की साझेदारी

बैठक श्री प्रियंक कानूनगो, सदस्य (शिक्षा), एन.सी.पी.सी.आर. के भूमिका वक्तव्य व परिचय से प्रारंभ हुई। श्री कानूनगो ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुभागानुसार विस्तृत चर्चा बिंदु प्रस्तावित किये।

श्री मुकुलजी कानिटकर, सचिव, भारतीय शिक्षा मण्डल ने प्रधान संबोधन दिया। श्री कानिटकर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में गुणवत्तापरक शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डाला। इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत आने वाले प्रावधान जैसे शिष्य–शिक्षक अनुपात सहित नियम और अनुसूचियां; धारा 27 के अन्तर्गत शिक्षकों के कर्तव्य आदि बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा का डिजिटलाइजेशन महत्त्वपूर्ण है किन्तु यह शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकता। अतः इसे शिक्षण–प्रज्ञता प्रक्रिया के एक पूरक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने आगे ध्यान दिलाया कि आज भी भारत में कई बच्चे स्कूल नहीं जाते। इन बच्चों को मुख्य धारा में लाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। उदाहरणार्थ, अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थान शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की परिधि से बाहर हैं और इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे इस कानून के लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 29 (2) (च) जो कि मातृभाषा में निर्देश दिये जाने के महत्त्व पर जोर देती है, सीखने की विद्या तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में महत्त्वपूर्ण है। साथ ही, शिक्षा नीतियां तथा उन्हें क्रियान्वित किये जाने की योजनाएं व्यावहारिक होनी चाहिए।

श्री श्रीराम अरावकर, विद्या भारती ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला जैसे कि निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा सुविधाहीन समूहों से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित होना। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की विभिन्न धाराओं तथा वर्तमान परिस्थतियों में उनकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा की।

श्री शिव कुमार, सचिव, विद्या भारती ने मातृभाषा में शिक्षा की महत्ता पर तथा शिक्षा के अधिकार की भूमिका पर प्रकाश डाला जिसके अन्तर्गत मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने आगे जोड़ा कि यदि सभी बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया जाना है तो अभिभावकों सहित सभी हिस्सेदारों को इसकी ओर अभिमुख करना होगा।

आम चर्चा के सत्र के बाद चर्चा को समाप्त करते हुए श्री अतुलजी कोठारी, सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने गुणवत्तापरक शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डाला और कहा कि अब बुनियादी ढांचे से आगे बढ़ने का समय आ गया है। सीसीई जैसी महत्त्वपूर्ण पहलों के विफल होने के कारणों में एक कारण यह भी शामिल है कि ऐसे बड़े हस्तक्षेप या सुधार को एक ही बार में पर्याप्त आधारभूत कार्य व तैयारी के शुरू कर दिया गया। ऐसे सुधारों को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना फलदायक होता। साथ ही, इस क्षेत्र से जुड़े सभी हिस्सेदारों का समुचित अभिमुखीकरण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पढ़ाई के प्रारम्भिक वर्षों में मातृभाषा में निर्देश दिया जाना महत्त्वपूर्ण होता है जिसके लिए स्कूलों और स्थानीय समुदाय स्तर पर पुस्तकालय संस्कृति को सशक्त बनाना महत्त्वपूर्ण है।

## चर्चा के बिन्दु तथा अनुशंसाएं

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में 39 धाराएं हैं जिन्हें सात अध्यायों और अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है जिसमें स्कूलों के लिए नियम और मापदण्ड हैं। धाराओं में बच्चों के लिए विभिन्न प्रावधान तथा बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हिस्सेदारों के दायित्व भी समाविष्ट हैं।

आम चर्चा के दौरान, सहभागियों द्वारा टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत किये गये। चर्चा से निम्नलिखित अनुशंसाएं उभर कर सामने आयीं।

1. ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जिन्होंने स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है; या जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है (धारा 4)

   *यदि छह वर्ष से अधिक की आयु के किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया हो, अथवा प्रवेश तो दिया गया हो, किन्तु वह अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न कर पाया हो, तो उसे उसकी आयु के हिसाब से उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा :*

   *किन्तु यदि किसी बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप किसी कक्षा में सीधे प्रवेश दिया गया हो, तो अन्य बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसके पास निर्धारित पद्धति से और निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा :*
   *किन्तु यह भी कि यदि किसी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए प्रवेश दिया गया है, तो वह चौदह वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का हकदार होगा।*

- स्कूल में न पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिन्हें इस प्रावधान से लाभ है दो वर्गों के अन्तर्गत आते हैं। पहले वर्ग में ऐसे बच्चे हैं जो कि कभी किसी शैक्षिक संस्थान में नहीं गये और दूसरा वर्ग ऐसे बच्चों का है जो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही स्कूल से बाहर निकल गये। ऐसे बच्चों को एक निर्धारित समय–सीमा में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक प्रामाणिक क्रियाविधि की आवश्यकता है।
- ऐसे उपायों को उनके न्यायसंगत परिणाम तक ले जाने में शिक्षक की तैयारी बहुत महत्त्वपूर्ण है। शिक्षक प्रशिक्षण में बच्चों को आयु के अनुरूप उपयुक्त कक्षा में शामिल करने के लिए एक विशिष्ट मापदण्ड समाविष्ट होना चाहिए।
- एन.सी.ई.आर.टी. अर्थात् शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा स्कूल में नहीं पढ़ रहे बच्चों के लिए एक ऐसा समुचित ब्रिज कोर्स विकसित किये जाने की आवश्यकता है जिसे राज्य स्तर पर भी अपनाया जा सकता हो।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग Non Residential और Residential Special Training Centres पर विस्तृत अध्ययन करना चाहिए।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 9 (छ) के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरण को विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है। अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि स्थानीय अधिकारियों को विनिर्दिष्ट समय में स्कूल नहीं जा रहे बच्चों की मैपिंग करने, उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनका मुख्य धारा में जुड़ना सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाने के प्रति अभिमुख किया जाए। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं पंचायतीराज शहरी विकास प्राधिकरण संयुक्त पहल करे।

2. कक्षा दोहराने या स्कूल से निकाले जाने पर प्रतिबंध (धारा 16)

*किसी स्कूल में भर्ती किये गये किसी भी बच्चे को उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में दोहराया नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा।*

यह धारा इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में से एक है और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखती है। इस धारा के सही अर्थों में बेहतर क्रियान्वयन के लिए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की क्रियाविधि को सशक्त बनाया जाना आवश्यक है।

- कंटीन्यूअस कम्प्रीहैन्सिव इवैल्यूएशन (सीसीई) अर्थात नियमित व्यापक मूल्यांकन को भारत की सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा पर्यावरणिक स्थितियों के अनुसार फिर से डिजायन किया जाना चाहिए। इस संबंध में, संबंधित एजेंसियों द्वारा भारतीय संदर्भ में उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किये जाने चाहिए। शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक नोडल एजेंसी होने के नाते, एन.सी.ई.आर.टी. ऐसे दिशानिर्देश एन.सी.पी.सी.आर. के सहयोग से बना सकता है। साथ ही, बच्चे के विकास के पाठ्यक्रम संबंधी तथा पाठ्यक्रम से इतर पहलुओं का सतत् मूल्यांकन सीसीई के अन्तर्गत सभी प्रकार के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- मूल प्रश्न स्कूली शिक्षा में सीसीई की नीति और प्रावधान के पीछे तैयारी और तत्परता का स्तर है। सीसीई के तरीके को देश के शिक्षको की गुणवत्ता के अनुरूप आसानी से

समझने लायाक बनाया जाना चाहिए तथा बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- शिक्षकों के साथ–साथ अभिभावकों को भी इस संबंध में अभिमुख किया जाना महत्त्वपूर्ण है कि सीसीई क्या है और पारंपरिक परीक्षाओं या पेपर–पेंसिल परीक्षाओं से ऊपर उठकर मूल्यांकन के इस तरीके को अपनाने के क्या फायदे हैं।

3. निर्देश देने का माध्यम, जहां तक व्यावहारिक हो सके, बच्चे की मातृभाषा होगा {धारा 29 (2) (च)}

- निर्देश देने का माध्यम कम से कम प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा ही होना चाहिए।
- जनजातीय बच्चों के मामलों में उन्हें मुख्यधारा में अर्थपूर्ण रूप से जोड़ने के लिए मातृभाषा में निर्देश दिये जाने के प्रावधान में विशिष्ट प्रांतीय भाषा भी समाविष्ट किये जाने का प्रावधान भी होना चाहिए।
- इसके लिए, उच्चतर शिक्षा जो फिलहाल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, को अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे बच्चे उनकी पसंद की भाषा में पढ़ाई कर सकें।
- इसके लिए, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एन.टी.एम.) को सुधारने तथा सक्रिय किये जाने और उसकी भूमिका एवं कार्यों को पूर्व–प्राथमिक शिक्षा तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। यह मिशन विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया था।

4. स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) {धारा 21 (क)}

*स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसमें स्थानीय प्राधिकरण के चयनित प्रतिनिधि, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता या संरक्षक तथा शिक्षक सम्मिलित होंगे। किन्तु ऐसी किसी भी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता–पिता या संरक्षक ही होंगे।*

- स्कूल प्रबंधन समिति के कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण हैं जैसे स्कूल के कार्यों की निगरानी करना, स्कूल की विकास योजना तैयार करना व उसकी सिफारिश करना, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त अनुदानों के उपयोग की निगरानी करना आदि। अतः अपने इन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने के लिए समिति में विशेषज्ञ और पेशेवर विशेषज्ञ भी होने चाहिए।
- स्कूलों में एक भूतपूर्व छात्र संगठन होना चाहिए और समिति में इस संगठन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- साथ ही, राज्य शिक्षा विभाग को धारा 21 (क) के अन्तर्गत छूटप्राप्त स्कूलों में भी स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के समान एक पीटीए का गठन करना अनिवार्य कर देना चाहिए।

*5. किसी विशिष्ट वर्ग के किसी स्कूल अथवा अपने खर्चों के लिए सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर रहे स्कूल को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए कक्षा के 25 प्रतिशत तक बच्चे कमजोर और सुविधाहीन वर्ग से भर्ती करने होंगे।*

- सभी बच्चों के सामाजिक समावेशन के मुख्य उद्देश्य से धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत बच्चों का समावेशन किये जाने के प्रावधान की परिधि में उन सभी स्कूलों को भी लाना चाहिए जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अन्यथा बाहर हैं।
- धारा 12 (1) (ग) के कार्यान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) विकसित करने की जरूरत है
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सुविधाहीन वर्ग के बच्चों के प्रभावी समावेशन पर शिक्षकों और प्रिंसीपलों के नियमित अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (2) कहती है कि शिक्षा पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा की जाएगी। प्रति बालक व्यय की गणना करने के लिए एक समान क्रियाविधि विकसित की जानी चाहिए और स्कूल में बच्चे की शिक्षा पर हुआ सभी खर्च इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
- साथ ही, निजी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और उनमें उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया जाना चाहिए व ग्रेड दिये जाने चाहिए। अभिभावकों को स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर वरीयता देने के लिए कहा जाना चाहिए। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रवेश के लिए पसंद प्राप्त होगी और इससे पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

6. *इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का संयुक्त दायित्व होगा (धारा 7)*

यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकारें अपने भाग के अनुसार उपलब्ध करायी जाने वाली निधियां दे पाने में पिछड़ रहीं हैं। केन्द्र और संबंधित राज्य द्वारा निधियों के आवंटन की स्थिति तथा प्रत्येक राज्य में उसके उपयोग का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

7. धारा 19

*धारा 18 के अन्तर्गत जब तक अनुसूची में निर्दिष्ट नियमों और मापदण्डों को पूरा नहीं कर लिया जाता, किसी स्कूल की स्थापना नहीं की जा सकती/मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती।*

| सुविधा | स्कूल प्रतिशत | सुविधा | स्कूल प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| खेल का मैदान नहीं | 38.5% | छात्राओं के लिए शौचालय नहीं | 3.5% |
| चाहरदीवारी नहीं | 35.1% | छात्रों के लिए शौचालय नहीं | 2% |
| पेयजल सुविधा नहीं | 2.9% | रैम्प नहीं | 66% |
| बिजली नहीं | 40.2% | रसोई शेड नहीं | 17.2% |

स्रोत : प्राथमिक शिक्षा रिपोर्ट कार्ड–2016–17

चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 स्कूलों में अनुकूल अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नियम और मापदण्ड निर्धारित करता है, इसलिए यह गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

**स्कूलों में विभिन्न अवसंरचनाएं विकसित करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विद्यमान योजनाओं के साथ समन्वय बनाया जाए जिससे स्कूलों को भी लाभ प्राप्त हो सके। उदाहरणार्थ,**

8. धारा 11. पूर्व–प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समुचित सरकार

*तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने तथा सभी बच्चों को छह वर्ष तक की आयु पूरी करने तक प्रारम्भिक बाल देखरेख तथा शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित सरकार ऐसे बच्चों को निःशुल्क प्री–स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सभी आवश्यक बंदोबस्त करेगी।*

- प्री–स्कूल एजूकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 का एक भाग है और इसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। प्री–स्कूल एजूकेशन, विभाग कोई भी हो, सरकार के अंतरगत शमिल है। किन्तु यह देखा गया है कि यह क्षेत्र अधिकांश अनियंत्रित है विशेषकर निजी प्री–स्कूल। अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी 2013 के क्रियान्वयन के लिए एक कार्ययोजना विकसित की जाए।
- साथ ही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत मिलने वाले अधिकारों का उपयोग धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत प्री–स्कूल में भर्ती बच्चों को प्राप्त हो रहा है। किन्तु आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चे इन अधिकारों से वंचित हैं। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 के अनुसार इन अधिकारों को आंगनवाड़ी केन्द्रों तक भी बढ़ाया जाए।
- प्री–स्कूल शिक्षा में समानता लाने में सवार्धिक महत्त्वपूर्ण घटक ईसीसीई हेतु सार्वभौमिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना है। समुचित प्राधिकरणों द्वारा सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास राष्ट्रीय संस्थान (NIPCCD), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से एक सार्वभौमिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिविल सोसाइटी संगठनों, शिक्षक संगठनों, गुणवत्तापरक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों को सम्मिलित करते हुए व्यावसायिक आचारनीतियां शामिल की जानी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत् आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित प्री–प्राइमरी क्षेत्र के सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

9. धारा 29 (1) पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया

*प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्धारण समुचित सरकार द्वारा निर्दिष्ट शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के जरिये किया जाएगा।*

इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) को शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। किन्तु, निजी स्कूल इस निर्धारित पाठ्यक्रम का आवश्यक रूप से अनुपालन नहीं करते हैं और निजी प्रकाशकों की पुस्तकें पढ़ाते हैं। सरकार को स्कूलों द्वारा पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम को नियमित करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के स्कूली बस्ते का वजन और बढ़ जाता है।

- साथ ही, देश भर में प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का एक समान होना सुनिश्चित करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) के माध्यम से राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा अपनाये जा रहे पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन मानदंडों की निगरानी करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें स्कूलों में नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क (एन.सी.एफ.) के अनुसार ही अपनाया जा रहा है या नहीं।

10. छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को एक मूल अधिकार के रूप में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उलब्ध कराने के लिए संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21–क जोड़ा गया है। जिसके परिपालन हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया परंतु अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ रहे बच्चे अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है जिससे संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत गैर सहायताप्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलने वाली मूल स्वतंत्रता के अतिक्रमण को रोका जा सके। ये संस्थान शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों से छूटप्राप्त हैं। इनमे अध्ययनरत बच्चे इसके चलते अपने सवैंधानिक मूल अधिकार से वचिंत हो रहे है जिस हेतु सरकार को अनुच्छेद 21 (क) व अनुच्छेद 30 (1) के बीच का रास्तर खोजने के लिये कार्य करना चाहिये।

11- **अनुच्छेद 15 (5) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलने वाले लाभों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। साथ ही 93वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (5) जो अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण के प्रावधान से इन संस्थानों की रक्षा करता है, के अन्तर्गत मिले फायदों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् की एक उपसमिति का गठन किये जाने की आवश्यकता है।-**

.....

## प्रतियोगियों की सूची
## List of Participants

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Mr. Yashwant Jain | Member NCPCR |
| 2. | Dr. Vivek Kohli, Principal<br>Sohan Lal DAV College of Education<br>(Institute of Advanced Study in Education) | Near Arya Chownk<br>Ambala City- 134003 (Haryana)<br>Mob-9896565517<br>Email :drvivekkohli@gmail.com |
| 3. | Dr. Prem Shankar Ram, Professor<br>Faculty of Education (B.H.U.) | Faculty of Education, Kamachha,Varanasi-10, Uttar Pradesh<br>Email: shanker.premool@gmail.com<br>Mb:9415813442 |
| 4. | Ms. Anita Sharma Ji, Principal<br>SANATAN DHARAM PUBLIC SCHOOL | Block BU, Pitampura, New Delhi - 110 034<br>Mb: 9899017867<br>Email: anita.sdps@gmail.com |
| 5. | Sh. Avinash Kumar Singh,<br>Professor, Deptt of Educational Policy<br>National University of Education Planning and Administration | 17, B, Aurobindo Marg, New Delhi-110016<br>Mb: 9971556501<br>Email: aksingh90@gmail.com |
| 6. | Sh. Naresh Salwan,<br>Member, NAC | 28, Gangotri Apartments, Vikas Puri,<br>New Delhi-l 10018<br>Mob: 9896350045<br>Email: nsalwan55@gmail.com |
| 7. | Prof. Chandra Bhushan Sharma<br>Chairman, NIOS | A-24-25, Sector-67, Noida (U.P)<br>Mob- 9810512605<br>Email: cm@nios.ac.in<br>PSto Chairman: 0120-4089802 |
| 8. | Sh. Shree Ram Araokar+1<br>Vidya Bharti, Bhopal | Pragya Sadan, Nehru Nagar, Delhi<br>Mob-9425011177<br>Email: shriram_vb@yahoo.in |
| 9. | Sh. Shiv Kumar Ji<br>Secretary, Vidya Bharti | Pragya Sadan, G. L. T. Saraswati Bal Mandir,<br>Nehru Marg, Ring Road, New Delhi-II 0065<br>Mo:09415024034,9818670073<br>Email: kumarsvb22@gmail.com |
| 10. | Sh. Keshav Kumar Sharma, Principal | H-107, Sector-12, Noida,<br>Mob-9313542880<br>Email: bdsvidyamandir@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | Dr. Anil Shukla, Deputy Secretary<br>NCTE, | NCTE,<br>Mob-99116756618<br>Email : anilshukla@ncte-india.org |
| 12. | Ms. Seema Rajput<br>Technical Specialist-Education | Girls Education Program<br>Care India, A-12, Bhilwara Tower, Noida<br>Email: srajput@careindia.org |
| 13. | Ms. Anjela Taneja<br>Technical Director, CARE India | Girls Education Program<br>Care India, Sector-I, Noida<br>Email: anjela@careindia.org<br>Ph: 9958087045 |
| 14. | Ms. Anita Tondon, Education Specialist | UNICEF, 73, Lodhi Estate,<br>Mob-9811226830,<br>Email: atandon@unicef.in,<br>tandonanita68@gmail.com |
| 15. | Ms. Aarusi Sharma,<br>Programme Manager, CSF | CSF, Delhi<br>Emial: arushi@contral Scqquarefoundation.org<br>Mob:-9810920107 |
| 16. | Dr. Biswajit singh,<br>Addl. Director, CBSE | CBSE, Delhi<br>Ph: 9811703635<br>Email: addldirecior-cbsegmail.com |
| 17. | Rama Sharma<br>Public Relations Officer, CBSE | CBSE, Delhi<br>Mob-9953137676<br>Email: |
| 18. | Al. Hilal Ahmed, Joint Director CBSE | CBSE,<br>Mob-9868958286,<br>Email: aeoasedof@gmail.com |
| 19. | Sh. A. K. Rajput , Head Department of Elementary Education (DEE), NCERT | NCERT<br>Mob:-9868255775<br>arajncert@yahoo.co.in |
| 20. | Sanjay Kumar Swami, Lecturer / Professor, GBSSS M.S.C | GBSSS M.S.C Shahdra<br>Mob: 9871082500<br>Email: swamisks1234@gmail.com |
| 21. | Kusum Singh,<br>Assistant Commissioner, NVS | NVS, Noida-62<br>Mob: 9711950581,<br>Email: ac3acad.nvs@gmail.com |
| 22. | Sh. Atul Kothari<br>Shiksha Sanskriti Utthan Nyas, | Saraswati Bal Vidhya Mandir, G-Block,<br>Narayana Vihar,New Delhi-110028<br>Shiksha Sanskruti Utthan Nyas,<br>Email: atulssun@gmail.com 9971899773 |
| 23. | Prof. Nelam Sood,<br>Proffesor & Head, Deptt. of School Education, NIEPA, New Delhi<br>Ph: 9415140481<br>Email: profsood@gmail.com | NIEPA, New Delhi<br>Ph: 9415140481/ 9818266460<br>Email: profsood@gmail.com |

| | | |
|---|---|---|
| 24. | Sh. Major Harsh Kumar<br>Secretary, NCERT | NCERT Campus, Sri Aurobindo Marg,<br>New Delhi-ll0016<br>Email: secy.ncert@nic.in /<br>harshksri@gmail.com<br>Mob-9415140481 |
| 25. | Praveen Khosle,<br>Sr. Programe Manager, CSF | CSF<br>Mob-8130972738<br>praveen@centralsquarefoundation.org |
| 26. | Ms. Ankita Choudhary Rathi (Adv.)<br>(Adhivakta Parishad) | 17, Central Lane Babar Road, Bangali Market,<br>New Delhi-110001<br>Ph: 9873990065<br>Email: ankitachaudhary.adv@gmail.com |
| 27. | Hitanand Sharma, Vidhya Bharti,<br>Pradesh Sangathan Mantri (M.P ) | 1806 Pragya deep Harshvardhan Nagar,<br>Bhopal<br>Ph: 9425419191<br>Email: hitanandsharma@gmail.com |
| 28. | Ms. Manish Aggarwal,<br>Narain Advocate (Adhivakta Parishad) | W-99, Greater Kailash I, New Delhi-11008,<br>Mob: 9818427977<br>Email: manish.law@gmail.com |